रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2015/अग्रहायण 25, 1937
No. 792] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015/AGRAHAYANA 25, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 979(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वापक पदार्थ विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2002 को जहां तक उनका संबंध उपनिरीक्षक, आशुलिपिक श्रेणी-II, कुत्ता संभालने वाला, सह सहायक उपनिरीक्षक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और हवलदार के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय में, राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरों में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरों, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2015 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. विशेष उपबंध – केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरों का अपना काडर होगा जब तक कि राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क द्वारा अन्यथा विहित न किया गया हो।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद।
1	2	3	4	5
1. उपनिरीक्षक	163* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
18 – 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण – आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी;	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य अर्हता। अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक मानदण्ड धारण करना और नीचे यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक परीक्षण पास करना अपेक्षित होगा। अर्थात् : **टिप्पण :** पुरूष अभ्यर्थियों के लिए I **शारीरिक मानदण्ड (न्यूनतम)** i लम्बाई : 157.5 से. मी. (गढवाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 5 से.मी. तक शिथिलनीय है।) ii **सीना : 81 से.मी.** (पूर्णत: फुला हुआ, न्यूनतम 5 से.मी. फुलाव सहित) II **(क) शारीरिक परीक्षण** (15 मिनट में 1600 मीटर चलना और 30 मिनट में 8 किलोमीटर साईकिल चलाना) **(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए** 1. शारीरिक मानदण्ड (न्यूनतम) लम्बाई – 152 से.मी. वजन – 48 किलोग्राम (गढवाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 2.5 से.मी. की ऊंचाई और 2 किलोग्राम तक वजन शिथिलनीय है।) 2. शारीरिक परीक्षण (20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना और 25 मिनट में 3 किलो मीटर साईकिल चलाना)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष प्रोन्नत किए जाने व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं।	i सीधी भर्ती द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 50% ii अवर श्रेणी लिपिक में से प्रोन्नति द्वारा 25% iii हवलदार में से प्रोन्नति द्वारा 25%

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति पुष्टि करण समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
11	**12**	**13**
प्रोन्नति : i ऐसे अवर श्रेणी लिपिक और हवलदार जिन्होंने उस श्रेणी में क्रमश: आठ वर्ष और ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की हो। ii जिसकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो और स्तंभ 7 के अधीन अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शारीरिक मानदण्ड धारण करते हो तथा ऐसी शारीरिक परीक्षण उर्त्तीण हो । और iii जो सेवा के अभिलेख और साक्षात्कार के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा चयन किए गये हो। **टिप्पण :-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण :-** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षत वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनामन बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनामन पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो) - अध्यक्ष 2 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो) – सदस्य 3 उप स्वापक आयुक्त (पी एण्ड वी/(प्रशा.) – सदस्य 4. उप आयकर आयुक्त – सदस्य (जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित अनजाति से संबंधित नहीं हो तब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
2. आशुलिपिक श्रेणी – 2	10* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। (सीबीएन-5 सीसीएफ-5)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता

6	7
18 – 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण – आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी;	i किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 कक्ष उत्तीर्ण या समतुल्य। ii कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण सन्नियम श्रुतलेख: 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट प्रतिलेखन 50 मिनट (अंग्रेजी) 64 मिनट (हिन्दी) (कम्प्यूटर पर)

8	9	10
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	100% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति के संबंध में विचार करने के लिए :- 1 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो) - अध्यक्ष 2 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो) – सदस्य 3 उप स्वापक आयुक्त (पी एण्ड वी/(प्रशा.) – सदस्य 4 उप आयकर आयुक्त – सदस्य	लागू नहीं होता।

अनुसूची

1	2	3	4	5
3. कुत्ता संभालने वाला - सह – सहायक उप निरीक्षक	6* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन

6	7	8
18 – 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण – आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी; **टिप्पण :** पुरूष अभ्यर्थियों के लिए I **शारीरिक मानदण्ड (न्यूनतम)** i लम्बाई : 157.5 से. मी. (गढवाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 5 से.मी. तक शिथिलनीय है।) ii **सीना : 81 से.मी.** (पूर्णत: फुला हुआ, न्यूनतम 5 से.मी. फुलाव सहित) II (क) **शारीरिक परीक्षण** (15 मिनट में 1600 मीटर चलना और 30 मिनट में 8 किलोमीटर साईकिल चलाना)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।	सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक या शारीरिक परीक्षा, प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए भी लागू होगा।

9	10	11
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति के द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या सीधे भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : (i) ऐसे 1800/- रुपए के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' हवलदार और बहुकार्य कर्मचारीवृंद में से जिनको तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ जानवरों को संभालने में अभिरूचि हो।

12	13
समूह 'ग' विभागीय या प्रोन्नति पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित :- 1 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो) - अध्यक्ष 2 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो) – सदस्य 3 उप स्वापक आयुक्त (पी एण्ड वी/(प्रशा.) – सदस्य 4 उप आयकर आयुक्त – सदस्य	लागू नहीं होता ।

अनुसूची

1	2	3	4	5
4. उच्च श्रेणी लिपिक	129* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

6	7
18 – 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण –आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य : टिप्पण :- कौशल परीक्षा, परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण 8000 की डिप्रोशन प्रति घण्टा की गति से ली जाएगी।

यथारूप से नियत की जाएगी (जहां कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती नहीं की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख मानी जाएगी।) वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	कौशल परीक्षण अर्हता की प्रकृति की होगी। परीक्षण परिच्छेद अंग्रेजी या हिन्दी में होगा।

8	9	10
हां, स्तंभ (7) के अनुसार	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 25% अवर श्रेणी लिपिक से प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा (ii) 75% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती द्वारा।

11
25% प्रोन्नति द्वारा (i) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक (1900/- रुपए ग्रेड वेतन जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। (ii) 75% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती द्वारा।

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो) - अध्यक्ष 2 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो) – सदस्य 3 उप स्वापक आयुक्त (पी एण्ड वी/(प्रशा.) – सदस्य 4 उप आयकर आयुक्त – सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
5. अवर श्रेणी लिपिक	139* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता

6	7
18 – 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण – परीक्षण परिच्छेद अंग्रेजी या हिन्दी में होगी। आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथारूप से नियत की जाएगी (जहां कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती नहीं की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख मानी जाएगी।) वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास या इसके समतुल्य और फीडर काडर के लिए प्रोन्नत हेतु 10वीं और कम्प्यूटर पर प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500 की डिप्रैशन प्रति घण्टा 9000 की डिप्रैशन प्रति घण्टा के अनुरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति में टंकण परीक्षा पास होना चाहिए। 2. कम्प्यूटर उपयोजन का ज्ञान 3. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है किन्तु टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखता है इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संबद्ध चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड नहीं है वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित करता है कि उक्त विकलांग व्यक्ति टंकण करने के योग्य स्थिति में नहीं है।

8	9	10
हां, स्तंभ (7) के अनुसार	सीधे भर्ती किए जाने वाली व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य	(i) प्रोन्नत व्यक्तियों के द्वारा 10%+5% (ii) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती द्वारा।

11
(i) दस प्रतिशत रिक्तियां ग्रेड बेतन 1800 रुपए के समूह 'ग' कर्मचारिवृन्द में से विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएगी जो बारहवीं कक्षा पास या समतुल्य अर्हता रखते हो और उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। विभागीय अर्हता परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकत्तम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 40 वर्ष) **टिप्पण :-** यदि खंड (i) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते है तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्षी वर्षो में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके। (ii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता – सह – योग्यता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों (बहुकार्य कर्मचारिवृन्द) में से भरी जाएगी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रुपए के साथ उस पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) :- 1 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो) - अध्यक्ष 2 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो) – सदस्य 3 उप स्वापक आयुक्त (पी एण्ड वी/(प्रशा.) – सदस्य 4 उप आयकर आयुक्त – सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
6. हवलदार	523* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	अचयन

6	7
18 – 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण – आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी;	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन, अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक मानदण्ड धारण करना और नीचे यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक परीक्षण पास करना अपेक्षित होगा। अर्थात् : **टिप्पण :** पुरूष अभ्यर्थियों के लिए I **शारीरिक मानदण्ड (न्यूनतम)** i लम्बाई : 157.5 से. मी. (गढवाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 5 से.मी. तक शिथिलनीय है।) ii **सीना : 81 से.मी.** (पूर्णत: फुला हुआ, न्यूनतम 5 से.मी. फुलाव सहित) II **(क) शारीरिक परीक्षण** (15 मिनट में 1600 मीटर चलना और 30 मिनट में 8 किलोमीटर साईकिल चलाना) **(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए** 1. शारीरिक मानदण्ड (न्यूनतम) लम्बाई – 152 से.मी. वजन – 48 किलोग्राम (गढवाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यो की दशा में 2.5 से.मी. की ऊंचाई और 2 किलोग्राम तक वजन शिथिलनीय है।) 2. शारीरिक परीक्षण (20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना और 25 मिनट में 3 किलो मीटर साईकिल चलाना)

8	9	10
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100% कर्मचारी आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो) - अध्यक्ष 2 स्वापक आयुक्त या कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो) – सदस्य 3 उप स्वापक आयुक्त (पी एण्ड वी/(प्रशा.) – सदस्य 4 उप आयकर आयुक्त – सदस्य (जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित अनजाति से संबंधित नहीं हो तब अनुसूचित जाति/अअनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/12/2013- प्रशासन-III-ख]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2015

G.S.R. 979(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Narcotics Department (Group "C"posts) Recruitment Rules,2002, in so far as they relate to Sub-Inspector, Stenographer Grade-II, Dog Handler-cum-Assistant Sub-Inspector, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk andHavaldar, except as respects things done or omitted to be done before the such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group ''C'' Posts in the Central Bureau of Narcotics under the Department of Revenue in the Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015.

(2)They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and Grade pay or scale of pay.—The number of said posts, their classification,the pay band and Grade pay orscale of pay attached thereto shall be as specified in columns(2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Special Provision.—Central Bureau of Narcotics shall have its own cadre unless other-wise prescribed by the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue.

4. Method of recruitment, age limits, other qualification, etc.—The method of recruitment, age limits, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

5. Disqualification.-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay/ pay scale	Whether Selection post or Non Selection post	Age limit for Direct Recruitment	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Sub-Inspector	163 *(2015) *Subject to variation dependent on Workload	General Central Service Group 'C', Non Gazetted and Non-Ministerial	PB -1 Rs.5200 -20, 200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Non selection	Between 18-27 years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	Degree from a recognised University or equivalent qualification. The Candidates shall be required to possess the Physical standards and to pass physical test as specified below , namely **Note:** For male candidates :- (i) Physical standard (minimum) (ii) Height: 157.5 cms. (relaxable by 5 cms, in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribe) (ii) Chest: 81 cms (fully expanded with minimum expansion of 5 cms.) (II) Physical Test-(a) Walking 1600 meter in 15 minutes and cycling 8 kms in 30 min. (b)For Female Candidates : Physical standard (Min) height -152 Cms and weight 48 kgs. (Height relaxable by 2.5 cms and weight by 2kgs for Garhwalies, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribe). **(ii) Physical Test: -** Walking 1km in 20 min andcycling, 3kms in 25 min .

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion deputation/ absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation / absorption , grade from which promotion/ deputation /absorption to be made .
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruitment Promotees –NIL	(i) By direct recruitment – 50% through SSC (ii) By promotion from amongst LDC – 25% (iii) By promotion from amongst Havaldar – 25%	**Promotion** (i) **Lower Division Clerk and Havaldar -** with eight years and eleven years of regular service respectively in the grade.- (ii) who are not more than 45 years of age and possess physical standards, and pass such physical tests as specified in the Schedule under Column 7, and (iii) who are selected by the departmental promotion Committee on the basis of record of service and interview.

(12)	(13)
If Departmental Promotion/Confirmation Committee Exist, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Group "C" Departmental Promotion or Confirmation Committee consisting of:- 1. Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is senior)- Chairman 2. Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is junior)- Member 3. Deputy Narcotics Commissioner (P&V)/ (Admn)-Member 4. Deputy Commissioner Income –Tax-Member (where none of the above officer belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, a Group A officer from outside the Department belonging to Schedule Caste or Schedule Tribes shall also be associated as a Member of Departmental promotion Committee.)	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Stenographer Grade –II	10 Posts *(2015) *Subject to variation dependent on workload [CBN-5 CCF-5].	General Central Service Group'C'- Non Gazetted and Ministerial	PB-1 Rs 5200-20,200 plus Grade pay Rs 2400	Not Applicable	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The Crucial date for determining the age limit shall be as fixed by Staff Selection commission.	(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University (ii) Skill Test Norms on Computer:- Dictation : 10 mts @ 80 w.p.m. Transcription : 50 mts (Eng) 64 mts. (Hindi) (on Computer)

(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Two Years	100% direct Recruitment through Staff Selection Commission.	Not Applicable

(12)	(13)
If Departmental Promotion Committee Exist, What is its composition	Circumstances in which UPSC is to be Consulted in making recruitment
Group "C" Departmental Promotion Committee(for considering confirmation):- 1 Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is senior)- Chairman 2 Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is junior)- Member 3. Deputy Narcotics Commissioner (P&V)/(Admn)-Member 4. Deputy Commissioner Income –Tax-Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 Dog Handler – Cum – Assistant Sub – inspector	6 * (2015) *Subject to variation dependent on Workload	General Central Service Group 'C '- Non Gazetted and Non-Ministerial	PB -1 Rs.5200 - 20 200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Non selection	Between 18-27 years (Relaxable for Government Servants up to 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	12thPass The candidates shall be required to possess the Physical standards and to pass physical test as specified below, namely **Note:** For male candidates :- (i) **Physical standard (minimum)** (ii) Height : 157.5 cms. (relaxable by 5 cms , in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribe) (ii) Chest: 81 cms(fully expanded with minimum expansion of 5 cms.) (II) **Physical Test**-(a) Walking 1600 meter in 15 minutes and cycling 8 kms in 30 min.

(8)	(9)	(10)	(11)
Physical standard/physical test for direct recruitment candidates is also applicable to the promotees	Two years for direct recruits	By promotion failing which by deputation or direct recruitment.	**Promotion :** (i) Promotion from amongst Havaldar and Multi Tasking Staff Group C with Grade pay of Rs. 1800/- having an aptitude for handling animals with three years regular service.

(12)	(13)
Group "C" Departmental Promotion or Confirmation Committee consisting of:- 1. Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is senior)- Chairman 2. Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is junior)- Member 3.Deputy Narcotics Commissioner (P&V)/(Admn)-Member 4.Deputy Commissioner Income –Tax-Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Upper Division Clerk	129 * (2015) *Subject to variation dependent on Workload	General Central Service Group 'C '- Non Gazetted and Ministerial	PB -1 Rs.5200 - 20, 200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Non selection	18- 27 years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (where recruitment is not through SSC crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of application.)	Degree of a recognised University or equivalent. **Note:** Skill Test only on Computer. Skill test will be administered at a speed 8000 key Depression Per Hour. The Skill test will be of qualifying nature. The test passage will be in English or Hindi

(8)	(9)	(10)	(11)
Yes, As per column (7).	Two years for direct recruits.	(i) 25% by promotion from LDC's failing which by Direct Recruitment. (ii) 75% by Direct recruitment through Staff Selection Commission.	25% by Promotion : (i) LDC (Grade Pay of Rs. 1900/-) with eight years of regular service in the grade. **Note:** Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered for provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and havesuccessfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (ii) 75% by Direct recruitment through Staff Selection Commission.

(12)	(13)
Group "C" Departmental Promotion or Confirmation Committee consisting of:- 1. Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is senior)- Chairman 2. Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is junior)- Member 3. Deputy Narcotics Commissioner (P&V)/(Admn)-Member 4. Deputy Commissioner Income –Tax-Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 Lower Division Clerk	139 * (2015) *Subject to variation dependent on Workload	General Central Service Group 'C '- Non Gazetted and Ministerial	PB –I Rs.5200 - 20,200 plus Grade Pay of Rs.1900	Not applicable	18-27 years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (where recruitment is not through SSC crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of application.)	12th pass or its equivalent from a recognised Board orUniversity for Direct recruitment and 10th for promotion for feeder Cadres and (1) Should pass typewriting in English with a minimum speed of 35 words per minutes or Hindi with a minimum speed of 30 words per minutes on Computer Correspond to 10500 KDPH / 9000 KDPH on an average of five key depression of each word. (2) Knowledge of Computer applications (3) Aphysically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in type-writing may be appointed subject to the condition that the medical Board, attached to the Special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board the civilian Surgeon certifies that the said handicapped person is not in fit condition to be able to type.

(8)	(9)	(10)	(11)
Yes, As per column(7)	Two years for direct recruits Promotees - Nil	(i) 10% + 5% by Promotion (ii) 85% by Direct recruitment through Staff Selection Commission.	(i)10% of the vacancies shall be filled up from amongst the Gr. 'C' staff in the Grade pay of Rs. 1800/- and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum agefor appearing in departmental qualifying examination is 45 years, (50 years of age for the SC or ST). Note: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (i) qualifies at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years,so that the employees qualifying at an early examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority –cum-fitness basis from Group 'C' Employees (Multi-Tasking Staff who have three years regular service in the post with the grade Pay of Rs. 1800/- .)

(12)	(13)
Group "C" Departmental Promotion Committee(for considering confirmation):- 1.Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is senior)- Chairman 2.Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is junior)- Member 3. Deputy Narcotics Commissioner (P&V)/ (Admn.)-Member 4.Deputy Commissioner Income –Tax-Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Havaldar	523* (2015) *Subject to variation dependent on Workload	General Central Service Group 'C '- Non Gazetted and Non- Ministerial	PB -1 Rs. 5200 -20, 200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Non selection	Between 18- 25 years (Relaxable for Government Servants up to 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	Matriculation from arecognised Board or Institute. **Note** : Candidates will be required to possess the Physical standards and pass physical test as specified below , namely:- **Note:** (a) For male candidates :- (i) Physical standard (minimum) (ii) Height: 157.5 cms. (relaxable by 5 cms, in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhasand members of Schedule Tribe) (ii) Chest: 81 cms(fully expanded with minimum expansion 5 cms.) (II) Physical Test-(a) Walking 1600 meter in 15 minutes and cycling 8 kms in 30 min. (b) For Female Candidates : Physical standard (Min) height - 152 Cms and weight 48 kgs. (Height relaxable by 2.5 cms and weight by 2kgs for Garhwalies, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribe). Physical Test: - Walking 1km in 20 min and cycling, 3kms in 25 min .

(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Two Years	By direct Recruitment 100% through Staff Selection Commission.	Not applicable.

(12)	(13)
Group "C" Departmental promotion Committee(for considering confirmation):- 1. Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is senior)- Chairman 2. Narcotics Commissioner or Chief Controller of factories (whosoever is junior)- Member 3. Deputy Narcotics Commissioner (P&V)/(Admn)-Member 4. Deputy Commissioner Income –Tax-Member (where non of the above officer belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, a Group A officer from outside the Department belonging to Schedule Caste or Schedule Tribes Shall also be associated as a Member of Departmental promotion Committee.).	Not applicable

[F. No. A-12018/12/2013-Ad. III. B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.